न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 106/2017

अनवान :

चुनादेवी उर्फ चुनीदेवी पत्नी स्वं0 लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
3. अमीचन्द पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
4. गिरधारी पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
5. भागीरथ पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
6. सुरेश पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
7. कृष्णा पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
8. सुमित्रा पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
9. सन्तोष पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
10. शान्ति पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
11. कमला पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
12. ओमप्रकाश पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
13. महेन्द्रो पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
14. सन्तरो पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
15. सुरजादेवी पत्नी श्यामलाल जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
16. आशाराम पुत्र सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
17. सुरेन्द्र उर्फ डूंगरराम पुत्र सरबती नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
18. गिरदावरी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
19. बिमलादेवी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
20. दलीपकुमार पुत्र माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
21. कृष्णादेवी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
22. चमेलीदेवी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
23. सन्तोषदेवी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत [illegible]रहक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत [illegible] 88 [illegible]काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थित : [illegible] श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ , वादी

निर्णय **दिनांक : 3[illegible]**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 केआरपी तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 46/43 के मु0नं0 51 के किला नं0 20 व 21 की 0.506 है0 मु0नं0 52 के किला नं0 16, 17, 24, 25 की 1.012 है0 मु0नं0 61 के किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नं0 4, 5 की 0.506 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 1 की 0.253 है0 कुल किता 9 की 2.277 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादिया चुनादेवी, रामेश्वर, ओमप्रकाश, गिरधारी, अमीचन्द, भागीरथ, सुरेश, कृष्णा, सुमित्रा, सन्तोष के नाम से 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी शान्ति, कमला, ओमप्रकाश महेन्द्रो, सन्तरो पिसरान सरबती के नाम से 5/18 हिस्सा, सुरजादेवी पत्नी श्यामलाल, आशाराम, सुरेन्द्र उर्फ डूंगरराम पिसरान सरबती के नाम से 1/18 हिस्सा, गिरदावरी, बिमला देवी, दलीपकुमार, कृष्णादेवी, चमेलीदेवी, सन्तोषदेवी पिसरान माली के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज धन्नाराम की खातेदारी हुआ करती थी। धन्नाराम के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण को विरासतन में प्राप्त हुई है। वादिया ने प्रतिवादीगण सं0 7 ता 23 की शादी, भात छुछक आदि में काफी खर्चा किया था एवं उन्हें हर प्रकार से खुश रखा था। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज धन्नाराम के देहान्त होने पर उसके बाहरवे की रश्म पर प्रतिवादीगण सं0 7 ता 23 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिस पर प्रतिवादीगण सं0 7 ता 23 के नाम दर्ज भूमि भी वादिया को प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं0 7 ता 23 के नाम अभी दर्ज चला आ रहा है। जिससे वादिया के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादिया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 23 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेंश किया व प्रतिवादी सं0 24 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में चुनादेवी उर्फ चुनीदेवी के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति जमाबन्दी चक 2केआरपी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श1–1ए–1बी प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादिया सुनी गई दौराने बहस वकील वादिया ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादिया मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादिया ने चक 2 केआरपी में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादिया ने दावा व साक्ष्य में विवादित आराजी पुस्तैनी होना व प्रतिवादी सं0 7 ता 23 द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि को पारिवारिक सैटलमेन्ट में वादिया के नाम त्याग करना अंकित किया है। चूंकि वादिया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 23 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है जिस पर सभी पक्षकारान के अंगूठा/हस्ताक्षर अंकित है व बाद तस्दीक पत्रावली शुमार किया गया है। इस प्रकार वादिया का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:45 IST
Reason: Self Attested

अत : वाद वादिया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केआरपी तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 46/43 के मु0नं0 51 के किला नं0 20, 21 की 0.506 है0 मु0नं0 52 के किला नं0 16, 17, 24, 25 की 1.012 है0 मु0नं0 61 के किला नं0 4, 5 की 0.506 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 1 की 0.253 है0 कुल किता 9 की 2.277 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि में वादिया चुनादेवी उर्फ चुनीदेवी 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 7 ता 23

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ने उपरोक्त आराजी में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादिया के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 106/2017

अनवान :

चुनादेवी उर्फ चुनीदेवी पत्नी स्वं0 लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
3. अमीचन्द पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
4. गिरधारी पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
5. भागीरथ पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
6. सुरेश पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
7. कृष्णा पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
8. सुमित्रा पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
9. सन्तोष पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
10. शान्ति पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
11. कमला पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
12. ओमप्रकाश पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
13. महेन्द्रो पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
14. सन्तरो पुत्री सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
15. सुरजादेवी पत्नी श्यामलाल जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
16. आशाराम पुत्र सरबती जाति नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
17. सुरेन्द्र उर्फ डूंगरराम पुत्र सरबती नायक निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
18. गिरदावरी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
19. बिमलादेवी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
20. दलीपकुमार पुत्र माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
21. कृष्णादेवी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
22. चमेलीदेवी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
23. सन्तोषदेवी पुत्री माली नायक निवासी चक 4 जेएसडी तहसील विजयनगर।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

Signature Not Verified

- प्रतिवादीगण

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ की उपस्थिति में बहस हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादिया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केआरपी तहसील भादरा के वर्तमान खसरा सं0 46/43 के मु0नं0 51 के किला नं0 20 व 21 की 0.506 है0 मु0नं0 52 के किला नं0 16, 17, 24, 25 की 1.012 है0 मु0नं0 61 के किला नं0 4, 5 की 0.506 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 1 की 0.253 है0 कुल किता 9 की 2.277 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि में वादिया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

चुनादेवी बनाम रामेश्वरलाल आदि पर्चा डिक्री

चुनादेवी उर्फ चुनीदेवी 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 7 ता 23 ने उपरोक्त आराजी में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादिया के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.10.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested